# <u>न्यायालयः</u>— मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला—बालोद, (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारीः— संजय जायसवाल)

क्लेम केस नं.:— 4 / 2016. संस्थित दिनांक :—11—1—2016.

-अनावेदकगण.

- 1. श्रीमती दिव्याबाई पति स्व. दुष्यंत साहू, उम्र 45 वर्ष,
- 2. कुमारी डाली पिता स्व. दुष्यंत साहू, उम्र-15 वर्ष,
- तुषार पिता स्व. दुष्यंत साहू, उम्र—14 वर्ष, नाबालिगों व्दारा वली संरक्षिका माता श्रीमती दिव्याबाई, निवासी— ग्राम चीचा, थाना—अर्जुन्दा, तहसील गुंडरदेही, जिला—बालोद(छ.ग.)

## / / विरूध्द / /

- रूपेश कुमार यादव पिता स्व. मंगलूप्रसाद यादव,
   उम्र—30 वर्ष,
   निवासी—आमापारा बालोद, थाना / तहसील / जिला—बालोद(छ.ग.),
- जितेन्द्र कुमार देवांगन पिता कार्तिकराम देवांगन, उम्र—39 वर्ष, निवासी—ग्राम आतरगांव, थाना / तह. डौंडीलोहारा, जिला—बालोद (छ.ग.),
- द ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी लिमि0
  व्दारा—शाखा कार्यालय, विस्तार पटल, प्रथम तल,
  सलूजा कॉम्पलेक्स दुर्ग रोड गंजपारा बालोद,
  जिला बालोद (छ.ग.)

\_\_\_\_\_

## ः <u>अधिनिर्णय</u>ः ( दिनांक 9—12—2016 को पारित)

01. धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रस्तुत इस दावा आवेदन में दिनांक 4—11—2015 को अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ओड़ारसकरी में वाहन टाटा छोटा हाथी कमांक—सी0जी0—04 जे.ए.—8706 से हुई दुर्घटना में दुष्यंत साहू की मृत्यु बाबत् प्रतिकर राशि की मांग आवेदकगण के रूप में कमशः उसकी पत्नी व नाबालिग पुत्री व पुत्र व्दारा की गई है,

जिसमें आगे उक्त वाहन को दोषी वाहन से सम्बोधित किया जा रहा है।

- 02. यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदकगण क्रमशः उक्त दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी और बीमाकर्ता हैं।
- दावा आवेदन संक्षेप में इस आशय का है कि 55 वर्षीय दूष्यंत 03. साहू दिनांक 4-11-2015 को बॉक्सर मोटरसायकिल क्रमांक सी.जी.07के. -2319 में अर्जुन्दा से अपने गृहग्राम चीचा जा रहा था । तब ओड़ारसकरी से चीचा जाने के सड़क में मोड़ के पास अनावेदक क्रमांक-1 रूपेश कुमार यादव दोषी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये आकर ठोकर मार दिया, जिससे मोटरसायकिल क्षतिग्रस्त हुआ और गंभीर चोट आने से दुष्यंत साहू की मृत्यु हो गई । जिस बाबत् थाना अर्जुन्दा में अपराध क्रमांक 239/15 अंतर्गत धारा 304-ए भा.दं.सं. पंजीबध्द कर चालक रूपेश के विरूध्द चालान पेश किया गया है । आगे आवेदन इस आशय का है कि 55 वर्षीय दुष्यंत साहू को कोई बीमारी नहीं थी, वह स्वस्थ व मेहनती व्यक्ति था, जो राजमिस्त्री का काम करके प्रतिदिन 300/- रूपये अर्थात् 9,000/- रूपये मासिक आय प्राप्त करता था. जिससे उसके परिवार का पालन-पोषण होता था । उसकी आकरिमक मृत्यू से आवेदकगण निराश्रित हो गये हैं और प्रेम, स्नेह, साहचर्य तथा सहयोग से वंचित हो गये हैं । अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुए कुल 11,70,000 / - रूपये प्रतिकर राशि मय ब्याज तथा वादव्यय के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।
- 04. अनावेदक क्रमांक—1 व 2 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुए इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि उनके दोषी वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि दुष्यंत साहू स्वयं की लापरवाही से मोटरसायकिल से गिरने के कारण मृत हुआ है । उनका दोषी

वाहन अनावेदक क.—3 से बीमित है, इसिलये यदि आवेदकगण को कोई प्रतिकर राशि दिलाया जाना उचित पाया जाता है तो उसके लिये अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी जवाबदार है । अतः उनके विरूध्द दावा खारिज किया जाये ।

अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने अपने विपरीत दावा आवेदन 05. के अभिवचनों को इंकार करते हुए इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि दुष्यंत साहू मोटरसायकिल चलाते हुये जा रहा था, इसलिये मामला योगदायी उपेक्षा का रहा है, जिस कारण मोटरसायकिल के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी भी आवश्यक पक्षकार हो जाते हैं. जिन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से मामले में असंयोजन का दोष है । इस बाबत् कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य नहीं है कि दोषी वाहन से ही दुर्घटना हुई थी, क्योंकि रिपोर्ट में अज्ञात वाहन से दुर्घटना होना बताया गया है । इस प्रकार दोषी वाहन का दायित्व नहीं बनता है और बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप वाहन का चालन नहीं किया गया है। वाहन हल्का माल वाहक यान है, जिसे चलाने हेतु व्यावसायिक झ्रायव्हिंग लायसेंस या द्रांसपोर्ट लायसेंस की आवश्यकता होती है, जबकि चालक अनावेदक क्रमांक-1 रूपेश के पास सिर्फ मोटरसायकिल और हल्का मोटर यान चलाने का ही लायसेंस था, जो दोषी वाहन के चलाने हेत् वैध और प्रभावी न होने से बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है । इसलिये बीमा कंपनी किसी प्रतिकर के लिये उत्तरदायी नहीं है । अतः उनके विरुध्द दावा आवेदन खारिज किया जाये ।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्न की रचना की गई है, जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत दिये जा रहे हैं :--

<u><b>Φ</b>0</u>	वाद प्रश्न	<u>निष्कर्ष</u>
1.	क्या घटना दिनांक 4—11—2015 को अनावेदक कमांक—1 वाहन टाटा (छोटा हाथी) क्रमांक— सी.जी. —04 जे.ए.8706 को ग्राम ओड़ारसकरी से ग्राम चीचा जाने के सड़क मार्ग मोड़ के पास उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मोटरसायिकल क्रमांक सी.जी.07 के.—2319 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे उसमें सवार दुष्यंत साहू को गंभीर चोटें आई और उसकी मृत्यु कारित हुई ?	
2.	क्या मामला योगदायी उपेक्षा का है, यदि हां तो प्रभाव ?	''प्रमाणित नहीं''
3.	''क्या मामले में बीमा शर्त का भंग किया गया है, यदि हां तो प्रभाव?''	''प्रमाणित नहीं।''
4.	''क्या आवेदकगण ,अनावेदकगण से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना व किससे ?''	1
5.	''सहायता एवं व्यय ?''	''कंडिका–20 के अनुसार निराकृत।''

## निष्कर्ष के आधार

### वाद प्रश्न कमांक-1 व 2 :-

07. इस मामले में आवेदक पक्ष से आवेदिका श्रीमती दिव्याबाई के अलावा आ.सा.क.—2 रामकुमार का भी परीक्षण कराया गया है, जबिक अनावेदक पक्ष से बीमा कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी एस.आर.साहू और चालक रूपेश के झ्रायव्हिंग लायसेंस के बाबत् अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग के लिपिक सत्येन्द्र कुमार सोनी का परीक्षण कराया गया है । आवेदक साक्ष्य में यह कहा गया था कि आ.सा.क.—2 रामकुमार मौके का साक्षी है, किंतु उसने दुर्घटना न देखने की बात कही है । इस प्रकार मौके का कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है ।

आवेदिका श्रीमती दिव्याबाई ने दावा आवेदन के अनुरूप दुर्घटना 08 होने की बात कही है, किंतु वह मौके पर नहीं थी और दुर्घटना से संबंधित पुलिस के चालानी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी-1 से लेकर प्रदर्श पी-5 तक प्रस्तुत की है, जिसमें अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 से पाया जाता है कि इस दुर्घटना के लिये दोषी वाहन के चालक अनावेदक कुमांक–1 रूपेश को पुलिस व्दारा अभियोजित किया गया है । शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 के अनुसार दुष्यंत की मृत्यु दुर्घटनाजनित कारणों से हुई थी । इस मृत्यू को विवादित नहीं किया गया है । आ.सा.क.-2 रामकुमार ने दुर्घटना के बारे में जानकारी होने से इंकार कर दिया है और अनावेदक पक्ष से परीक्षित साक्षी बीमा शर्तों के उल्लंघन बाबत् कथन किये हैं, जिन्होंने दुर्घटना में लापरवाही किसकी थी इस बाबत् कोई कथन नहीं किया है। दुर्घटना में मृतक की किसी प्रकार की उपेक्षा या उतावलापन रहा हो इसे दोषी वाहन के चालक के रूप में रूपेश स्वयं साक्षी के कटघरे तक आकर स्थिति स्पष्ट कर सकता था, किंतू वह साक्षी के कटघरे तक नहीं आया है, इसलिये उपधारणा उसके विपरीत बनती है ।

09. न्याय—दृष्टांत श्रीमती पवनबाई व अन्य विरुध्द दलजीत कौर व अन्य, 2011 (1) ए.सी.सी.डी.—293 (म.प्र.) तथा दूसरे न्याय—दृष्टांत दिवाकर शुक्ला व अन्य विरुध्द अशोक कुमार ठाकुर व अन्य, 2006 (11) दु.मु.प्र.—225 में अवधारित किया गया है कि यदि चालक ने स्वयं को साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं किया है तो धारणा उसके विपरीत बनती है । इसी प्रकार न्याय—दृष्टांत भगवंत विरुध्द श्रीमती रामप्यारी 1991 जे.एल. जे.—277 में अवधारित किया गया है कि यदि आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज की अंतर्वस्तुयें तथा मौखिक साक्ष्य अखंडित हैं तो उनके आधार पर दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जाना चाहिये । इस प्रकार जब मृतक दुष्यंत साहू की लापरवाही विषयक कोई तथ्य नहीं आया है तब उपरोक्त न्याय—दृष्टांतों के

प्रकाश में आवेदक पक्ष की अखंडित साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक रूपेश व्दारा दोषी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के फलस्वरूप हुई दुर्घटना में आई चोट से दुष्यंत साहू की मृत्यु हुई । अतः वादप्रश्न क्रमांक—1 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से "हॉ" में तथा वादप्रश्न क्रमांक—2 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।

### वाद प्रश्न कमांक-3:-

- 10. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी का अभिवचन, साक्ष्य और तर्क इस आशय का है कि दोषी वाहन हल्का माल वाहक था, जबिक चालक रूपेश का ज्ञायिव्हेंग लायसेंस सिर्फ एल.एम.व्ही. के लिये है, जबिक हल्का माह वाहक के लिये द्रांसपोर्ट प्रकृति का ज्ञायिव्हेंग लायसेंस होना चाहिये था, जो नहीं था, इसलिये बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है । इस संबंध में कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी एस.आर.साहू ने बीमा पॉलिसी प्रदर्श डी—2 के रूप में पेश करते हुये कहा है कि माल वाहक यान के लिये द्रांसपोर्ट श्रेणी का ज्ञायिव्हेंग लायसेंस होना आवश्यक था, जिसके अभाव में बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है ।
- 11. बीमा कंपनी की ओर से चालक रूपेश के ड्रायव्हिंग लायसेंस के सत्यापन वास्ते अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग से लायसेंस पंजी आहूत की गई, जिसे वहां के सहायक ग्रेड—3 सत्येन्द्र कुमार सोनी ने प्रदर्श डी—1सी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण जन—सूचना अधिकार के तहत पूर्व में प्रदर्श डी—1ए के रूप में देना भी कहा है, जिसके अनुसार चालक रूपेश का ड्रायव्हिंग लायसेंस कमांक आर 43558 दिनांक 31—7—2007 को मोटरसायिकल विथ गेयर और एल.एम.व्ही. के लिये जारी हुआ था, जिसकी वैधता दिनांक 30—7—2027 तक है । उक्त ड्रायव्हिंग लायसेंस से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक को चालक रूपेश के पास मोटरसायिकल विथ गेयर के

साथ-साथ एल.एम.व्ही. के लिये लायसेंस था ।

- 12. अब देखना यह है कि क्या दोषी वाहन के लिये चालक रूपेश के पास पाया गया एल.एम.व्ही. का लायसेंस उपयुक्त नहीं था और बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है ?
- 13. अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से तर्क के समर्थन में न्याय—दृष्टांत न्यू इं.इं.कं.लि. विरूध्द प्रभुलाल, 2008 (1) ए.सी.सी.डी.—11 (सु.को.) का हवाला दिया गया है, जो 30—11—2007 को निर्णीत था और माननीय दो न्यायमूर्तिगण व्दारा विनिश्चित है ।
- 14. इस संदर्भ में आवेदक पक्ष व्दारा प्रस्तुत न्याय—दृष्टांत कुलवंतिसंह व अन्य विरुध्द ओरिएंटल इं.कं.िल. 2014 (4) ए.सी.सी.डी. 1907 (एस.सी.) उल्लेखनीय है, जिसमें दिनांक 28—10—2014 को माननीय उच्चतम—न्यायालय व्दारा निर्णय पारित किया गया है और उसमें पूर्व के न्याय—दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कं.िल. वि. अनप्पा इरप्पा नेसारिया उर्फ नेसरागी एवं अन्य (2008) 3 एस.सी.सी.—464 का हवाला देते हुये उल्लेख किया गया है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 (21) एवं (23) के प्रावधानों को निर्दिष्ट किया गया था, जो कमशः हल्के मोटर यान एवं मध्यम माल वालक की परिभाषायें हैं और अनुज्ञप्ति के प्रारूपों को विहित करते हुये नियम अर्थात् नियम 14 और प्रारूप संख्या 4 है, यह अंतिम निष्कर्ष निकाला गया था:—
- "20. यहां इससे पूर्व जो संज्ञान लिया गया है, उससे यह साक्ष्यित है कि "परिवहन यान" को अब "मध्यम मालवाहक और", "भारी मालवालक" के लिये प्रतिस्थापित किया गया है । हल्का मोटर यान सुसंगत समय पर "हल्के यात्री गाड़ी यान" और "हल्के मालगाड़ी यान" दोनों को आच्छादित करता रहा था, अतः कोई चालक, जिसके पास हल्के मोटर यान के

चालन की वैध अनुज्ञप्ति थी, हल्के मालवाहक का चालन करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया था ।"

- 15. इस प्रकार बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत न्याय—दृष्टांत ''न्यू इं.इं.कं.लि. विरुध्द प्रभुलाल'' के विनिश्चय के पश्चात् आवेदक पक्ष व्दारा प्रस्तुत न्याय—दृष्टांत ''कुलवंतिसंह व अन्य विरुध्द ओरिएंटल इं.कं.लि.'' का मामला माननीय उच्चतम—न्यायालय व्दारा विनिश्चित किया गया है, जिसमें ''अनप्पा इरप्पा नेसारिया उर्फ नेसरागी एवं अन्य'' में व्यक्त अवधारणा को आधार बनाया गया है, इसलिये यह न्याय—दृष्टांत बीमा कंपनी व्दारा प्रस्तुत न्याय—दृष्टांत ''प्रभुलाल'' पर प्रभावी रहेगा ।
- 16. मेरे समक्ष के मामले में देखें तो दोषी वाहन का कोई पंजीयन प्रमाण—पत्र पेश नहीं है, किंतु अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी ने अपने जवाबदावे की कंडिका—17 में यह स्वीकार किया है कि दोषी वाहन हल्का माल वाहक यान है, इसके साथ—साथ आवेदक पक्ष व्दारा अभिलेख में जो दस्तावेजों की छायाप्रति के रूप में संलग्न किया गया है उसमें फिटनेस प्रमाण—पत्र की भी छायाप्रति है, जिसमें भी दोषी वाहन को लाईट गुड्स व्हीकल अर्थात् हल्का माल यान बताया गया है । इस प्रकार उपरोक्त न्याय—दृष्टांत "अनप्पा इरप्पा नेसारिया उर्फ नेसरागी" के मामले में उच्चतम—न्यायालय व्दारा व्यक्त अवधारणा के अनुरूप यह पाया जाता है कि हल्का माल वाहक यान का चालन यदि हल्के मोटर यान का लायसेंसधारी करता है तो उससे बीमा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होता, इसलिये बीमा कंपनी का तर्क अस्वीकार करते हुये वादप्रश्न कृमांक—3 का निष्कर्ष 'प्रमाणित नहीं' में दिया जाता है ।

#### वादप्रश्न क.-4 :-

17. आवेदन के अनुरूप मृतक दुष्यंत की पत्नी आवेदिका श्रीमती दिव्याबाई ने अपने न्यायालयीन बयान में भी कहा है कि मृतक दुष्यंत राजिमस्त्री का काम करके प्रतिदिन 300—350/— रूपये की आय अर्जित करता था, किंतु राजिमस्त्री के कार्य बाबत् कोई दस्तावेजी प्रमाण या लायसेंस वगैरह पेश नहीं है और आवेदक के ही साक्षी रामकुमार ने कहा है कि मृतक दुष्यंत खेती—बाड़ी करता था और मजदूरी करने जाता था, जिसने यह भी स्वीकार किया है कि गांव में एक दिन की मजदूरी 100/— रूपये मिलता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक राजिमस्त्री नहीं था, बिल्क मजदूरी करता था ।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि आवेदकगण की संख्या 3 है, जो 18. मृतक की पत्नी और संतान होने से उस पर आश्रित रहे हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रतिदिन की मजदूरी की सरकारी दर करीब 166 / — रूपये है । इस दशा में महंगाई और आवेदक पर आश्रितों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी को दृष्टिगत् रखते हुये मृतक दृष्यंत की मासिक आय 5,000 / – रूपये आंकी जाती है, जिसमें 12 का गुणक किये जाने पर उसकी वार्षिक आय 60,000 / - रूपये होती है, जिसमें से उसका व्यक्तिगत 1/3 खर्च 20,000/— रूपये घटाने पर आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता राशि 40,000 / - रूपये होती है । दावा आवेदन के अनुसार ही मृतक की शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 में भी उसकी उम्र 55 वर्ष दर्शायी गई है, इसलिये न्याय-दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व अन्य 2009(2) ए.सी.सी.डी. 924 (सु.कोर्ट) में व्यक्त अवधारणा के अनुरूप मामले में 11 का गुणक लागू किया जाना उचित पाया जाता है । आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता राशि 40,000 / - रूपये में 11 का गुणक किये जाने पर कुल आश्रितता राशि 4,40,000 / - रूपये होती है, जिसमें साहचर्य की हानि के मद में 1,00,000 / - रूपये, प्रेम-रनेह से वंचित

होने के मद में 1,00,000 / — रूपये तथा अंतिम क्रियाकर्म के बाबत् 25,000 / — रूपये और जोड़े जाने पर कुल प्रतिकर राशि 6,65,000 / — रूपये होती है, जो आवेदकगण प्राप्त करने के हकदार हैं।

19. अनावेदकगण क्रमशः दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी और बीमाकर्ता हैं । बीमा की शर्तों का भंग होना प्रमाणित नहीं हुआ है । इसलिये उक्त प्रतिकर के लिये अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः उत्तरदायी पाये जाते हैं।

#### वादप्रश्न क.-5 :-

- 20. उपरोक्त विवेचना पर से यह अधिकरण पाती है कि आवेदकगण अपना दावा अनावेदकगण के विरूध्द आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, अतः आवेदकगण का दावा अंशतः स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि :--
  - अ. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः आवेदकगण को 6,65,000 / – रूपये (अक्षरी छः लाख पैंसठ हजार रूपये) अदा करेंगे, जिस पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक से संपूर्ण अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा । शेष दावा खारिज किया जाता है ।
  - ब. अनावेदकगण उभय पक्ष का वाद व्यय भी वहन करेंगें।
  - स. प्रतिकर राशि जमा होने पर 6,25,000 आवेदिका श्रीमती दिव्याबाई के नाम 10 वर्ष के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी जमा की जाये, जिसमें से वह प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत

राशि आहरण कर सकेगी और शेष राशि उसे एकाउंट पेयी भुगतान किया जाये ।

द. मामले में अधिवक्ता शुल्क 3 दिन में प्रमाणित होने पर उभय पक्ष हेतु पृथक—पृथक 500—500 / — रूपये आंका जाता है ।

तदानुसार व्यय तालिका तैयार की जाये।

सही/-

बालोद, दिनांक 9-12-2016.

(संजय जायसवाल ) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,बालोद, जिला बालोद(छ0ग0)

वाद व्यय

क0		आवेदक	अना०क०–1 एवं 2 पूर्व से एकपक्षीय	अना0क0–3
1	मूलदावा	40=00	_	
2	पावर	5=00	5=00	5=00
3	आवेदन पत्र	_	_	24=00
4	अभिभाषक शुल्क	_	_	_
	योग	45=00	5=00	29=00

सही / –

(संजय जायसवाल) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद(छ0ग0)